न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs-20/-

निगरानी 2188-II-15

185
10.6.15

सूर्यप्रताप मिश्रा तनय स्व0श्री वासुदेव मिश्रा उम्र 75 साल, निवासी ग्राम मुरैठा, तहसील हनुमना, जिला रीवा म0प्र0

----------आवेदक

बनाम

बृजनन्दन प्रसाद तिवारी तनय श्री बद्री प्रसाद तिवारी उम्र 80 साल, निवासी ग्राम मुरैठा, तहसील हनुमना, जिला रीवा म0प्र0

2. शासन म0प्र0 --------अनावेदकगण

श्री अशोक तिवारी ...एड
द्वारा आज दिनांक 10-6-15 को
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 5846 ... द्वारा आज
रजिस्टर्ड ... को प्राप्त
दिनांक ...
राजस्व मण्डल ग्वालियर

पुनरीक्षण बिरूद्ध राजस्व निरीक्षक हनुमना के आदेश दिनांक 15.1.2015 तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता

महोदय,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1. यह कि, अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक का आदेश बिधि एवं प्रक्रिया के बिपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, आराजी नम्बर 242/1 एवं 242/2 के स्वत्व व अधिपत्यधारी आवेदक हैएवं आराजी नं. 242/2 रकबा0. 101आरे. स्थित मौजा मुरैठा कोठार 863, प0ह0हनुमना, तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0के भूमि के स्वत्व व अधिपत्यधारी आवेदक है तथा उसी भू भाग मे आवेदक की आबादी दर्ज है लेकिन अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा बिधि बिरूद्ध ढंग से उक्त भूमि का बिना किसी स्वत्व व अधिकार के एवं बिना किसी अन्तरण दस्तावेज के बिधि बिरूद्ध ढंग से अपने नाम उक्त भूमि का नामान्तरण करा लिया. नामान्तरण निरस्त किये जाने को

आवेदक 8/... ...

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2188-II/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-2-16	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के तर्क में यह कहा गया कि ग्राम मुरैठा कोलार, तह-हनुमना की भूमि ख.नं. 242/2 के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी आवेदक हैं, तथा अनावेदक द्वारा बिना किसी अंतरण दस्तावेज के विधि विरुद्ध ढंग से उसका नामांतरण अपने हित में करा लिया गया है, जिसे निरस्त कराने के लिए आवेदक के आवेदन पर तहसील में कार्यवाही प्रचलित है। उन्होंने, निगरानी मेमो के साथ पेश नक्शा ट्रेस पर स.नं. 242/2 की पटवारी द्वारा दि. 15-1-15 को की गई तरमीम का संदर्भ लेते हुए कहा कि यह तरमीम तहसीलदार द्वारा प्रदत्त सक्षम आदेश के बगैर की गई है और स.नं. 242/2 के स्वत्व संबंधी प्रकरण तहसील में विचाराधीन भी है। अतः, उनके अनुसार यह तरमीम अवैध एवं निरस्ती योग्य है। तर्क के साथ उन्होंने तह. हनुमना में प्रचलित संबंधित प्र.क्र. 298/अ 74/14-15 की आदेशपत्रिका की छायाप्रति, और RI की रिपोर्ट दि. 6.9.15 (जिसमें 242/2 के खसरे में अनावेदक का नाम किन्तु मौके पर आवेदक का पुश्तैनी कब्जा एवं मकान होना लिखा है) की छायाप्रति भी पेश की। = खसरा वर्ष 13-14 में अनावेदक का नाम उक्त भूमि पर लिखा है, जिसकी प्रति पहले ही आवेदक द्वारा दी जा चुकी थी। मैंने विद्वान अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया एवं	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया। वादभूमि स.न. 242/2 के संबंध में तहसील में प्रचलित प्र.क्र. 298/अ-74/14-15 की आदेश पत्रिका की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दि. 15-1-15 तक में तहसीलदार ने इस प्रकरण में RI या पटवारी को स.न. 242/2 के नक्शे पर तरमीम किए जाने संबंधी कोई आदेश नहीं दिए थे। दि. 15-1-15 के पूर्व प्रकरण केवल दर्ज हुआ था और अनावेदक के जवाब हेतु नियत था, तथा दि. 15-1-15 को अनावेदक का जवाब पेश हुआ होना आदेश पत्रिका पर लिखा है। ट्रेस नक्शे पर स.न. 242/2 की की-गई तरमीम में भी पटवारी ने किसी भी तरमीम हेतु सक्षम आदेश का उल्लेख नहीं किया है। दि. 15-1-15 के लगभग 8 माह बाद दि. 6-9-15 के प्रतिवेदन में RI ने स.न. 242/2 के खसरे एवं मौके की स्थिति का खुलासा किया है, नक्शा संबंधी कोई लेख नहीं किया। इस सब से यही प्रतीत होता है कि पटवारी द्वारा दि. 15-1-15 को ट्रेस नक्शे पर स.न. 242/2 की की-गई तरमीम बगैर किसी सक्षम आदेश के कर दी गई है, जो यदि सत्य है तो धारा 70 MPLRC के प्रावधानों का उल्लंघन है और अधिकारिता-बाह्य होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त बिन्दुओं एवं विवेचना के प्रकाश में एवं आधार पर मैं, पूर्ण विचारोपरान्त, स्वयं को इस बात से सहमत पाता हूँ कि पटवारी ने	
[signature] 3.2.16		

M

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश R – 2188 – III/15 रीवा	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	हूँ कि वे इस बात की प्रारंभिक जाँच करें कि विवादांकित नक्शा तरमीम किसी सक्षम आदेश के आधार पर की गई थी या नहीं। यदि नहीं, तो वे संबंधित पटवारी के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर योग्य अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करें/कराएं। यदि हाँ, तो वे संबंधित (तरमीम हेतु आदेश जारी करने वाले) अधिकारी से इस बाबत स्पष्टीकरण लें कि उन्होंने संबंधित भूमि के राजस्व अभिलेख में सही प्रविष्टि संबंधी वाद तह. न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद, बगैर अभिभावक की सहमति के, तरमीम के आदेश क्यों दिए। कलेक्टर उपरोक्त कार्यवाही उन्हें, रा.मं. के इस आदेश की संसूचना के 3 माह के भीतर, पूर्ण करें। उपरोक्तानुसार तरमीम को निरस्त एवं अप्रभावी करने के आदेश, एवं कलेक्टर को निर्देश के साथ यह प्रकरण रा.मं. से समाप्त किया जाता है। पक्षकार एवं कलेक्टर रीवा सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो। 3.2.16 सदस्य	

XIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2188-II/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दि. 15-1-15 के ट्रेस नक्शे पर स.न. 242/2 की तरमीम, (प्रथमदृष्ट्या), सक्षम आदेश के बगैर एवं अपने अधिकारक्षेत्र से बाहर जाकर की है जिसके पीछे या तो उनका विधि के ज्ञान का अभाव होना, या उनका दूषित मानस होना या अनुचित प्रभाव में होना संभव है ।	
	दूसरी ओर, यदि आवेदक के आवेदन पर उनके (तहसील के) न्यायालय में प्र.क. 298/अ-74/14-15 लंबित होने के बावजूद तहसीलदार ने (या अन्य किसी सक्षम अधिकारी ने) बगैर आवेदक की सहमति के स.न. 242/2 की नक्शे पर तरमीम किये जाने के आदेश दिये हैं, तो यह भी उचित नहीं है क्योंकि इस भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेख की सही प्रविष्टि बाबत निर्णय होना अभी शेष है ।	
	दोनों ही स्थितियों में पटवारी द्वारा ट्रेस नक्शे पर स.न. 242/2 की दि. 15-1-15 को दर्शाई गई तरमीम स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः उसे एतद्द्वारा निरस्त एवं प्रभावहीन घोषित किया जाता है ।	
3.2.16	साथ ही मैं कलेक्टर-रीवा को यह निर्देश देता	